केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सार्वजनिक सूचना

सावधान

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) के संज्ञान में आया है कि कुछ बाहरी तत्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी होने का मिथ्या दावा कर रहे हैं और प्रदूषण की जांच और निगरानी के नाम पर संयंत्र/संक्रिया/निर्माण स्थल आदि में प्रवेश करके निदेश जारी कर रहे हैं/नोटिस चस्पा कर रहे हैं।

के.प्र.नि.बो. के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ बाहरी तत्व के.प्र.नि.बो. के परामर्शदाता के रूप में स्वयं का मिथ्या परिचय दे रहे हैं और कार्य करवाने का दावा कर रहे हैं।

अत: सर्वसाधारण को इस संबंध में सचेत किया जाता है तथा सूचित किया जाता है कि:-

1. प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) एक सांविधिक निकाय है तथा इस बोर्ड के द्वारा इस संबंध में जारी निदेश संबंधित व्यक्ति/संस्थान को केवल अधिकृत डाक व्यवस्था/अधिकृत ईमेल आई.डी. (....cpcb@gov.in, ...cpcb@nic.in) के माध्यम से ही प्रेषित किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए इस बोर्ड के द्वारा किसी तृतीय पक्ष को संयंत्र/संक्रिया/निर्माण स्थल आदि के निरीक्षण अथवा कोई निदेश जारी करने अथवा नोटिस चस्पा करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।
2. प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में निदेश केवल अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हस्ताक्षर के अधीन जारी किए जाते हैं तथा ऐसे सभी निदेशों की जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://www.cpcb.nic.in पर 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निदेश' ('Directions issued by CPCB') शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
3. जैसा कि कुछ बाहरी तत्व द्वारा मिथ्या दावा किया जा रहा है, ऐसे किसी भी परामर्शदाता अथवा व्यक्ति को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। के.प्र.नि.बो. से संबंधित सभी मामलों पर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुसरण करते हुए सीधे तौर पर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके

लिए आवेदन/अनुरोध डाक अथवा ईमेल के द्वारा अध्यक्ष/सदस्य सचिव, के.प्र.नि.बो. को सीधे ही भेजा जा सकता है।

4. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://www.cpcb.nic.in पर 'संपर्क' (Contact Us) शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

क्या करें?

- प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में निदेशों की अभिपुष्टि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट देखें।
- यदि कोई व्यक्ति/निरीक्षण दल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी/निरीक्षण दल होने का दावा करता है तथा प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी संयंत्र, संक्रिया परिसर अथवा निर्माण स्थल में प्रवेश करना चाहता है, तो उससे/उनसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र दिखाने को कहें।
- ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति समूह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस प्रभाग के नाम एवं प्रभाग प्रभारी जैसी जानकारी प्राप्त करें जिससे वे संबंधित होने का दावा कर रहे हैं।
- ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति समूह के नाम, पदनाम एवं परिचय पत्र संख्या, प्रभाग का विवरण देते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतर्कता अधिकारी से उनके बारे में पुष्टि करें। सतर्कता अधिकारी के फोन नंबर, ईमेल और कार्यालय के पते का विवरण https://cpcb.nic.in/contact-directory.php पर दिया गया है।
- सतर्कता अधिकारी द्वारा अभिपुष्टि न किए जाने पर/संदेहास्पद मामलों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भी लिखित रूप में अथवा ईमेल द्वारा सूचित करें।

क्या न करें?

- यदि कोई व्यक्ति/व्यक्ति समूह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकृत निरीक्षण अधिकारी/निरीक्षण दल का सदस्य होने का दावा करता है तथा प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में परिसर में प्रवेश करता है, तो उसे/उनको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी परिचय पत्र के बिना अपने परिसर में प्रवेश करने की अनुमति न दें।
- अधिकृत डाक (स्पीड पोस्ट)/अधिकृत ईमेल (....cpcb@gov.in, ...cpcb@nic.in) के अलावा किसी अन्य स्रोत से नोटिस/निदेश को स्वीकार न करें।

सदस्य सचिव, केंद्रीय बोर्ड

मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी का विवरण

मुख्य सतर्कता अधिकारी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
फोन नंबर (कार्यालय) : 011-43102296
ईमेल : vigilance.cpcb@gov.in

सतर्कता अधिकारी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
फोन नंबर (कार्यालय) : 011-43102246
ईमेल : vigilance.cpcb@gov.in

Central Pollution Control Board

Public Notice

ATTENTION

It has come to the notice of Central Pollution Control Board (CPCB) that some external elements, falsely claiming/posing as officers/employees of Central Pollution Control Board, are entering into Industries/Operations/construction sites etc. in the name of checking and monitoring pollution, and issuing instructions/pasting notices.

It has also come to notice of CPCB that some external elements are falsely identifying themselves as CPCB's consultants and claiming to get work done.

In this regard, general public is cautioned that : -

1. Central Pollution Control Board (CPCB) is a statutory body for the prevention and control of pollution, and the Directions issued by the Board to the concerned persons/organisations are communicated only through authorized post and authorized email id (…cpcb@gov.in, …cpcb@nic.in). No third party has been authorized by the Board to inspect the Industries, Operations, construction sites, etc. or to issue any instructions or paste notices.

2. Directions regarding prevention and control of pollution are issued only under the signature of the Chairman, CPCB, and the information of all such Directions is available on the website of CPCB

(https://www.cpcb.nic.in) under the heading 'Directions issued by CPCB'.

3. No consultant or any other person has been authorized by CPCB as falsely claimed by some external elements. All matters relating to CPCB are processed directly by the officials of the Board following the rules and regulations framed under various Acts, for which application/request can be sent directly to the Chairman/Member Secretary, CPCB by post or by email.

4. The list of officials of Central Pollution Control Board is available on its website (https://www.cpcb.nic.in) under the title 'Contact Us'.

DO'S

- See the website of the Central Pollution Control Board for confirmation of Directions regarding prevention and control of pollution.
- If any person/group of persons claiming to be officer/inspection team of the Central Pollution Control Board, enters premises of any industry, operations, or construction sites in relation to prevention and control of pollution, please ask them to show the authorized identity card issued by the Central Pollution Control Board.
- Seek information such as name and details of the in-charge of the Division of the Central Pollution Control Board, to which the person/group of persons claims to belong.
- Confirm with the Vigilance Officer of Central Pollution Control Board, while giving the details of the name, designation, identity card number, division of such person/group of person. The details of the phone number, email and office address of the vigilance officer is provided here : https://cpcb.nic.in/contact-directory.php.

- In case of non-confirmation by the Vigilance Officer/in doubtful cases, lodge a complaint against such persons with the local police station and also inform the Chief Vigilance Officer of Central Pollution Control Board in writing or by e-mail.

DON'TS

- If a person/group of persons claims to be authorized inspection officer/member of inspection team of Central Pollution Control Board and enters premises in relation to the prevention and control of pollution, do not allow them to enter the premises without seeing identification card issued to them by the Central Pollution Control Board.
- Do not accept notice/direction from any source other than authorized post (speed post) or authorized email (@gov.in, @nic.in).

Member Secretary, Central Board

Details of Chief Vigilance Officer and Vigilance Officer

Chief Vigilance Officer

Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan

East Arjun Nagar, Delhi – 110032

Phone Number (Office) : 011-43102296

Email : vigilance.cpcb@gov.in

Vigilance Officer

Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan

East Arjun Nagar, Delhi – 110032

Phone Number (Office) : 011-43102246

Email : vigilance.cpcb@gov.in